

## न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 24/2021 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/24)

उमेशचंद पुत्र मूलचंद जाति मीना ग्राम नसवारा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश अति० जिला कलक्टर भरतपुर मु०नं० 30/2019 उमेशचंद बनाम सरकार निर्णय दिनांक 31.12.2020 व तहसीलदार वैर दिनांक 15.03.2019 प्रकरण संख्या 1/2020 उनवानी सरकार बनाम उमेशचंद (अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट)

उपस्थिति:-

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय


दिनांक:- 23.10.2023

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.12.2020 व तहसीलदार वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार वैर ने आदेश दिनांक 15.3.2019 से अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.33 है० किस्म चारागाह वाकै ग्राम नसवारा तहसील वैर पर अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। अति० जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2020 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार वैर का निर्णय यथावत रखा गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर व तहसीलदार वैर की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। नियत दिनांक को बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 व तहसीलदार वैर की ओर से पारित आदेश

23-10-2023  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर जिला, भरतपुर


दिनांक 15.03.2019 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। हर दो तहत अदालतों ने इस उज पर ध्यान नहीं दिया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.33 है0 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 तक विवादित भूमि अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पूर्वज गणपत नम्बरदार के कब्जे में थी तथा उसका राजस्व लगान भी पूर्वजों के द्वारा दिया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि विवादित आराजी का सम्पूर्ण खसरा आवादी के काम में आ रहा है। जिसमें अपीलान्ट के अलावा अन्य काफी लोगों के मकान बने हुये हैं, परन्तु स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर केवल अपीलान्ट के विरुद्ध ही उक्त कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा की गई है, जो कि समानता के अधिकार के विरुद्ध है। इस कारण अपीलान्धीन निर्णय निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस उज पर भी गौर नहीं किया कि विवादित भूमि पर मकान व रहवास सैंकड़ों साल पुराने है तथा अपीलान्ट ने यह भूमि पहले से ही बने हुये मकान सहित रहवास के लिये मंगतूराम से कय की थी तथा उससे यह मकान रूपये देकर खरीदा था। विकेता मंगतूराम ने इस बाबत अपना बयान भी अदालत मातहत तहसीलदार वैर के न्यायालय में दिया था। जिसमें यह उल्लेख किया था कि इस मकान का निर्माण उसके पूर्वजों के द्वारा कराया गया था तथा पूर्वजों के समय से ही करीब 70-80 साल से लगातार रहवास करते चले आ रहे हैं, परन्तु इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को भी दरकिनार करके जो निर्णय हर दो तहत अदालतों के द्वारा दिया गया है, जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों को भी नहीं देखा गया कि एक निजी खातेदारी की भूमि को सम्वत 2019-22 में अवैधानिक रूप से गुपचुप तरीके से बिना मौके की जांच किये ही चारागाह घोषित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी बिन्दु पर विचार नहीं किया कि वर्ष 1959 से पूर्व बने हुये मकान, रिहायश या किसी अन्य कब्जे के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के समर्थन में न तो तहसीलदार वैर द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिए गए और न ही अपीलान्ट को पटवारी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार वैर ने मौके पर जाकर इस असलियत का पता भी नहीं किया कि जिस भूमि पर पूरा गांव बसा हुआ है काफी पुराने पक्के रिहायशी मकान बने हुये हैं उस जगह पर चारागाह कैसे दर्ज हो सकता है ? जनता को उनके घरों से बेघर करने का प्रावधान किसी भी कानून में नहीं है। इस आदेश से जनता में अराजकता फैलती है सरकार का उद्देश्य पब्लिक को घर देने का है उजाड़ने का नहीं है। सुयोग्य हर दो अधीनस्थ अदालतों ने सामाजिक न्याय के बिन्दु को नजर अन्दाज करके बेदखली का जो आदेश दिया है



५५  
 23.4.2023  
 राजस्थान न्यायालय  
 राजस्थान सरकार

वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है जो काविले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु पर गौर नहीं किया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में चारागाह व सिवायचक भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है तथा उन पर कार्यवाही करने का अधिकार केवल ग्राम पंचायत को ही है। तहसीलदार वैर को इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, परन्तु विधिक प्रावधान को ताक पर रखकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई है। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी गलत रूप से सही ठहराया गया है। तहत अदालतों ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि यदि अपीलान्ट को वेदखल करके उसके रहवास को तोड़ दिया जावेगा तो फिर वह परिवार सहित सडक पर आ जायेगा उसके जीवन का अन्त परिवार सहित हो जावेगा। जीवन और रहने का अधिकार उसका मूल अधिकार है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इसलिए हर दो तहत अदालतों के आदेश निरस्त योग्य है। इसके अलावा तहत न्यायालयों को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर करना चाहिए था कि यदि भूमि की किस्म चारागाह है तथा उस पर काफी पुरानी आबादी बसी हुई है तथा चारागाह के काम नहीं आ रही है तो राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र के तहत शुल्क जमा कर नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, परन्तु इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 व तहसीलदार वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पुराने रहवास को देखते हुए विवादित भूमि का नियमन अपीलान्ट के पक्ष में किये जाने का आदेश दिया जावे।


वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2020 व तहसीलदार वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार वैर के द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही निर्णय दिनांक 15.3.2019 पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है। जिसका तहसीलदार वैर को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ परीक्षण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 327/1.33 है0 ग्राम नसवारा किस्म चारागाह में पुख्ता मकान अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल एवं पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है जो न्यायसंगत है चूंकि अतिक्रमित भूमि किस्म चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिक्रमी है। इसके अलावा एक तरफ तो अपीलान्ट का यह



23.12.2019  
राजकीय अधिवक्ता  
भरतपुर, राजस्थान

कहना कि उक्त अतिक्रमित भूमि उसके पूर्वजों की है दूसरी ओर कहते हैं कि इस भूमि को किसी अन्य से कय किया है फिर कहते हैं कि इस भूमि को मेरे लिये आवंटन नियमन किये जाने के आदेश दिये जाएं। इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलान्ट ने जिस सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रम किया है उस सम्बन्ध में उसके पास कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। दूसरी ओर उनका यह कथन कि अन्य लोगों के भी अतिक्रमण है तो इससे अपीलान्ट को किररी तरह का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, के विरुद्ध भी परीक्षण न्यायालय द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा जिस किसी का भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही कर वेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। किन्तु इस प्रकार के कथनों से अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण वैध नहीं माना जा सकता है। तहसीलदार वैर के द्वारा एक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही न्यायसंगत है जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं पाये जाने पर ही तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी अपने अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार का फैसला दिनांक 15.3.2019 यथावत रखा गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2019 व 31.12.2020 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषक की वहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 327 रकबा 1.33 है० किस्म चारागाह में 70x64 फीट भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार वैर के समक्ष पेश की गई। इसके साथ नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस की तामील होने पर अपीलान्ट ने जरिये अभिभाषक अदालत मातहत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस दिनांक 19.02.2019 को पेश किया गया, परन्तु जवाब में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मंगतूराम जिन से उपरोक्त भूमि दिनांक 15.01.2013 से जरिये इकरारनाम कय करना बताया गया है के द्वारा भी तहसीलदार वैर को दिनांक 14.02.2019 को इस आशय का जवाब पेश किया गया कि विवादित खसरा नंबर पर उसका कोई मकान बना हुआ नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद तहसीलदार वैर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2019 को पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से जवाब में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल का खसरा नंबर 327 रकबा 1.33 है० किस्म चारागाह में मकान बना हुआ है। चारागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिस पर न तो किसी व्यक्ति द्वारा पुख्ता निर्माण किया जा सकता है और न ही पुख्ता निर्माण कर उसको



45  
23.X.2023  
सहायक आयुक्त  
भारत

किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय किया जा सकता है। इस आधार पर अपीलान्त को विवादित भूमि से वेदखल किये जाने व लगान की 50 गुना शारस्ती आरोपित की गई है जो कि उचित है, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिचार समझा जाएगा और वह वहां के तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छा से या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पत्र पर जिसके पास ऐसी भूमि रखी गई है, तुरन्त वेदखल किया जा सकता है। अर्थात् उक्त अधिनियम के तहत सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को वेदखल किये जाने की तहसीलदार को पूर्ण अधिकारिता प्राप्त है। जहां तक वकील अपीलान्त की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों की विवादित भूमि पर वर्षों से अपीलान्त का मकान बना हुआ है तो इसके संबंध में किसी तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो विचारण न्यायालय में और न ही अदालत हाजा या प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। चूंकि चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है। जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत न तो आवंटित किया जा सकता है और न ही नियमित किया जा सकता है। इसलिए तहसीलदार वैर की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 में हम किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाते हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2020 में भी स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है। जिसमें अपीलान्त अतिक्रमी है। तहसीलदार वैर द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना गया है जो कि उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त खारिज की जाकर तहसीलदार वैर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.03.2019 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वामी)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर